राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 237 / 2022
GCMS No. 2022/328

1. कंवर सिंह पुत्र मातादीन उम्र 70 साल
2. शिवराम सिंह पुत्र मातादीन उम्र 65 साल जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

.......आवेदकगण

ब–ना–म

1. कृष्णा देवी पत्नी हेमराज उम्र 55 साल
2. प्रीतम पुत्र हेमराज उम्र 25 साल
3. पूजा पुत्री हेमराज उम्र 20 साल समस्त जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
4. सन्तोष पुत्री हेमराज पत्नी दिनेश कुमार उम्र 25 साल जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद अकबरपुर तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
5. मनोज पुत्री हेमराज पत्नी उदयभान उम्र 28 साल
6. राजेश पुत्री हेमराज पत्नी मुनेश कुमार उम्र 30 साल जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
7. धर्मवीर पुत्र झण्डूराम उम्र 42 साल
8. मनीराम पुत्र झण्डूराम उम्र 40 साल जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
9. रामनिवास पुत्र गुलाराम जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद ढाणी बानावाली पोस्ट डाबला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राज0
10. ताराचन्द पुत्र छाजूराम
11. सुमेर पुत्र छाजूराम जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
12. ज्याना देवी यादव पत्नी स्व. झुहारी उर्फ जोहरी जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद हाउस नं. 89 शास्त्री नगर, लाल बाजार, त्रिमलगिरी, सिकन्दराबाद (तेलंगाना) 500015
13. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पचेरी कलां जरिये शाखा प्रबंधक।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

.......अनावेदकगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:51:59 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: निर्णय :: दिनांक 05–07–2023

यह आवेदन पत्र आवेदकगण की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम माजरी तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.नं. 136, 239, 300, 303, 384, 511, 60 कुल किता 7 कुल रकबा 4000 है. के नाम से जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 में दर्ज की गई है। उक्त भूमि ख.नं. 300 में आवेदकगण ने कुआ भी बना रखा है तथा फसल व खेती बाड़ी के औजार रखने के लिए आवेदकगण ने टीनसैड बना रखा है। उक्त खेत ख.नं. 300 के दक्षिण दिशा में खेत ख.नं. 280 लगता है तथा खेत ख.नं. 280 में से होकर एक आम रास्ता ग्राम सहड़ से डुमोली जाने वाला रास्ता पूर्व से पश्चिम को जाता है उक्त रास्ता ख.नं. 280 के बाद आगे ख.नं. 281 के उत्तरी–पूर्वी कौने से होकर गुजरता है। आवेदकगण के खेत ख.नं. 300 के सबसे नजदीक यही एक मात्र रास्ता है। आवेदकगण ने अपने खेत ख.नं. 300 मे एक कुआ बना रखा है तथा खेत ख.नं. 300 में आवेदकगण ने मकान बना रखे हैं तथा पशुओं के लिए टीनसैड व अनाज आदि डालने के लिए पक्का निर्माण कर रखा है। आवेदकगण को ग्राम सहड़ से डुमोली खुर्द को जाने वाले आम रास्ते से अपने खेत ख.नं. 300 में आने जाने के लिए खेत ख.नं. 281 के उतरी पूर्वी कौने की सीमा से होकर खेत ख.नं. 280 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे सबसे छोटा रास्ता है। इस प्रकार आवेदकगण अपने खेत ख.न. 300 में आने जाने के लिए ख.नं. 281 व 280 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे करीब 15 फुट चौड़ा रास्ता की आवश्यकता है। आवेदकगण के पास खेत ख.नं. 300 में आने जाने के लिए उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते को नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। आवेदकगण न्यायालय द्वारा निर्धारित राशि डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि जमा करवाने के लिए तैयार है।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम माजरी तहसील बुहाना में स्थित खेत ख.नं. 300 में आने जाने के लिए खेत ख.नं. 280 व 281 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे उत्तर से दक्षिण तक आम रास्ता से खेत ख.नं. 300 तक 15 फुट चौड़ा रासता कायम किया जावे व राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की कृपा करें।

आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अनावेदकगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अनावेदक सं. 1, 7, 9 व 10 की ओर से जवाब आवेदन प्रस्तुत कर आवेदकगण द्वारा चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार किया है तथा आवदेकगण का आवेदन पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

अनावेदकगण सं. 2 से 6, 8 व 11 से 14 बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार, बुहाना से विवादित भूमि के सम्बंध में मौका कब्जा काश्त व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, बुहाना ने [illegible] क्रमांकः भू.अ./2023/183 दिनांक 18.01.2023 से भू–अभिलेख निरीक्षक वृत [illegible] की मूल मौका रिपोर्ट मय आंशिक नक्शा किश्तवार संलग्न कर [illegible] है जो नि[illegible]र है :–

1. आवेदक को अपने खेत ख.नं. 300 से सहड़ [illegible] रास्ते की आवश्यकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:51:59 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

2. खातेदार कंवर को ख.नं. 280 व 281 की पूर्वी सीमा से रास्ता दिया जाना सबसे छोटा व सुगम रास्ता है।
3. पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव है।
4. खसरा नंबर 280 में 172X4=688 वर्गमीटर व खसरा नंबर 281 में 36X4=144 वर्ग मीटर कुल रकबा 832 वर्गमीटर बनता है।

तहसीलदार, बुहाना से प्रकरण में मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनावेदकगण सं. 1, 7, 9 व 10 की ओर से मौका रिपोर्ट आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया है ख.नं. 300 के लिये चाहे जाने वाले रास्ता के बाबत बनाई गई रिपोर्ट दिनांक 23.12.2022 को अस्वीकार कर ख.नं. 280 व 281 व 282 व 298 की सीमा पर से एवं ख.नं. 278 एवं 279 व ख.नं. 604/301 व 280 की सीमा पर से तथा ख.नं. 305 व 303 की तरफ से माजरी सहड़क को जाने वाली सड़क की तरफ से रास्ता दिये जाने के बाबत पुनः रिपोर्ट मंगवाई जावे।

आपत्ति प्रार्थना पत्र पर उपस्थित विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया तथा भू–अभिलेख निरीक्षक वृत पचेरी खुर्द द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। आवेदकगण ने ग्राम सहड़ से डुमोली खुर्द को जाने वाले आम रास्ते से अपने खेत ख.नं. 300 में आने जाने के लिए भूमि ख.नं. 280 व 281 पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे रास्ते की मांग की है। मौका रिपोर्ट के मुताबिक उक्त प्रस्तावित रास्ता सुविधाजनक व लघुत्तम प्रतीत हो रहा है। अतः अनावेदक की आपत्ति बाबत मौका रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक, पचेरी खुर्द पोषणीय नहीं है।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक वृत पचेरी खुर्द का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक वृत पचेरी खुर्द ने अपनी रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में स्पष्ट किया है कि आवेदकगण को प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। प्रस्तावित रास्ते (नजरी नक्शा में दर्शित) के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम दूरी का रास्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है। आवेदकगण को खसरा नंबर 300 में पहुंचने हेतु नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकित मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 832 वर्गमीटर बनता है। आवेदकगण के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 300 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। इस प्रकार आवेदकगण का आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के प्रावधानों की पूर्ति करता है। अतः आवेदकगण का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः मुताबिक मौका रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षण वृत पचेरी खुर्द के संलग्न नजरी नक्शा के आवेदकगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम माजरी तहसील बुंहाना स्थित भूमि खसरा नंबर 300 में जाने के लिए [illegible] ख निरीक्षक वृत पचेरी खुर्द की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा [illegible] अंकितानुसार कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि पक्षकारान [illegible]कार की रकम पर आपस में सहमत नहीं हुए है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC की दर से 832 वर्गमीटर भूमि की दुगुनी राशि आवेदकगण तहसीलदार, बुहाना के समक्ष जमा करवायेंगे। तहसीलदार, बुहाना खसरा नंबर 280 व 281 के खातेदारों/अनावेदकगणों को प्रतिकार की राशि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:51:59 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

नियमानुसार अदा करेंगें। तद्नुसार भूमि खसरा नंबर 280 व 281 के रकबे में से रास्ते की बाबत 832 वर्गमीटर भूमि निर्वापित कर राजस्व रिकार्ड में किस्म "गैर मुमकीन रास्ता" के रूप में राजकीय खाते में अभिलिखित करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 05-07-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:51:59 IST
Reason: SelfAttested